

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 162621/
39634

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (गुवालियर), मध्यप्रदेश

स्कूल: RISHI GALAV PUBLIC SCHOOL, मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता
सं - 2022-23

Digitally signed by
Date: 2022.05.15 15:11:53 +05:30
Reason: Issued By: deo gwali

प्रति,

प्रबंधक (RISHI GALAV PUBLIC SCHOOL)


विषय : नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

सहायक / महोदय:

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31/03/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - RISHI GALAV PUBLIC SCHOOL, ब्लाक नं० - 23040516040 स्कूल क्रमांक - PS 39634 को कक्षा श्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त रविकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा वर्ष 3 से आगे की मान्यता सन्दर्भ में कोई बाधकता किसी भी रूप में विनियमित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उरा दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इससे परिशिष्ट बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करते हुए उस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है। विद्युत यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (श्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंधों-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपेंडेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक को साथ किसी एकत्रीय प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
 - (क) आयु के सूक्त के आभाव में
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहीत की गई विस्तारित कालावधि के उपलब्ध ऐसा प्रवेश जाह्न गया है,
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्यस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्काशित नहीं किया जाएगा
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
 - अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि शर्तों कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा
 - प्रायवट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेने/लेगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनियमित स्कूल के मानक एवं आपतकाल संभार रहे जाएंगे। अतिरिक्त निरक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का भी ध्यान रहेगा।



Manager
Rishi Galav Public School
Gwalior